

[Shri Vasant Sathe]

lay on the Table a copy each of Notification Nos. 62/81-Central Excise to 73/81-Central Excises [GSR 192(E) to 203 (E)] (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 25th March, 1981 together with an explanatory memorandum regarding introduction of certain modifications in the excise duty exemption schemes for specified items manufactured by small scale manufacturers, issued under the Central Excise Rules, 1944. [Placed in Library. See No. LT-2194/81].

18.01 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SPECIAL ATTENTION FOR DRINKING WATER DURING SIXTH PLAN

— प्रो. नर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़-गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी मानव की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि हम अपने देश के मानचित्र पर दृष्टि डालें, तो हमें पता लगेगा कि सबसे अधिक पानी की समस्या राजस्थान प्रान्त में है।

मान्यवर, साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह प्रान्त भयंकर पानी के अभाव से पीड़ित है। दुर्भाग्य से इस समय अकाल की भी स्थिति है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ पर एक साल के बाद दूसरे साल अकाल पड़ता ही रहता है। इस अकाल को यदि हम इस शताब्दी का सबसे अधिक भयंकर अकाल कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय फसल सूखी, तो सूखी, खड़े हुए जंगल सूख गये, नदियाँ, तालाबों और यहाँ तक कि कुओं तक का पानी सूख गया। ऐसी स्थिति में पीने के पानी की समस्या मानव के लिए एक भयंकर समस्या के रूप में सामने आई है। ऐसे तो सारे राजस्थान में पानी की भयंकर समस्या है परन्तु राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह बहुत अधिक पीने के

पानी के अभाव से ग्रसित है। प्राचीन समय में एक यह कहावत थी कि मारवाड़ का व्यक्ति यानी पश्चिमी राजस्थान का व्यक्ति जीवन में तीन बार ही नहाता है, जन्म, वरण और मरण के समय यानी जन्म के समय, विवाह के समय और मृत्यु के बाद। यद्यपि सरकार ने इस उक्ति को झूठला दिया है फिर भी हमारा यह कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में भयंकर पीने के पानी का अभाव है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो इलाका है, वहाँ पर मीलों दूर जा जा कर पानी लाना पड़ता है, 40 किलोमीटर तक से पानी लाया जाता है और यहाँ तक कि ऐसे कई परिवार हैं जिन में सभी काम करने वाले व्यक्ति पानी लाने के लिए लगे रहते हैं। सरकार के द्वारा भी कई स्थानों पर टँकरों से पानी पहुँचाया जाता है लेकिन टँकरों से पहुँचाये गये पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इस के साथ ही साथ पानी इतनी गहराई पर मिलता है कि 80 मीटर और 130 मीटर तक तो सामान्य बात है लेकिन कहीं कहीं पर तो 200 मीटर तक की गहराई में भी पानी नहीं मिलता है और वहाँ पर खारा पानी उपलब्ध होता है।

बीकानेर के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान केनाल से वहाँ के लोगों की पानी की समस्या का समाधान किया जा सकता है यदि हम लिफ्ट इरीगेशन के द्वारा जगह-जगह पर गाँवों में पानी पहुँचाएँ। मैंने राजस्थान के पश्चिमी इलाके के बारे में अभी निवेदन किया है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, वह एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर भी पानी की भयंकर समस्या है। खास तौर पर वहाँ का पानी भी दूषित है। उसको पीने से नाख रोग हो जाता है। उसमें ऐसे कीटाणु पाये जाते हैं जिस से चर्म रोग भी हो जाता है।

राजस्थान का जो अर्द्ध रीगस्तानी इलाका है उसके पानी में फ्लुराइड पाइट्ट रसायन पाया जाता है। उस पानी के पीने से

मनुष्य की हड्डी मुड़ जाती है। शरीर ऐसा विकृत हो जाता है कि मनुष्य जीते हुए भी मृतक के समान हो जाता है। ऐसा कई इलाकों में है जहाँ पर कि लोग अपनी बेटों का विवाह करना पसन्द नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोगों की हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं। इसलिए सारा राजस्थान पीने के पानी की समस्या से अत्यन्त ग्रस्त है।

मैं निवेदन करना चाहूँगी कि 1972 में राजस्थान में पीने के पानी के अभाव के बारे में एक सर्वे किया गया था। उसके अनुसार 33,262 गांवों में से 24,037 गांव किसी न किसी तरीके से पानी की समस्या से ग्रसित पाये गये थे। मैं यही निवेदन करूँगी कि आपने जहाँ और चीजें देने की बात की है, वहाँ मनुष्य के लिए पीने का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समस्या से हमें राजस्थान को छूटकारा दिलाना ही चाहिए। मानव खाने बिना रह सकता है मगर पानी पिये बगैर नहीं रह सकता है।

राजस्थान के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि 490 करोड़ रुपये पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाए। परन्तु मुझे कहते हुए यह बड़ा दुःख होता है कि उतनी राशि देने के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। इसके लिए केवल 198 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी है। यदि हमें जलप्रदाय योजना के लिए 490 करोड़ रुपये दिये जाएं तो उसमें से 358 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 132 करोड़ रुपये नगरीय क्षेत्रों को पानी की समस्या का समाधान करने के लिए खर्च किये जायेंगे। परन्तु जो राशि मंजूर की गयी है यह अत्यधिक कम है। मैं सरकार से पूर-जोर शब्दों में कहना चाहती हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mrs. Shaktawat, it should be Rs. 198 crore.

श्री. निमला कुमारी शक्तावत : ये जो 198 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, ये अत्यधिक कम है। मैं पूरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूँगी कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस राशि को बढ़ाया जाए। नहीं तो राजस्थान के समस्याग्रस्त गांव

और नगर पीने के पानी से वंचित ही रहेंगे। वे आगे भी समस्यापूर्ण बने रहेंगे। इसलिए इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, कुछ समय पहले ही हमारी प्रधान मंत्री और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था और वहाँ उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखा कि वहाँ पर जो महिलाएँ काम कर रही थीं, उस प्यासी धरती की प्यासी महिलाओं ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि सरकार के जो पानी के टॉकर वहाँ आते हैं उनसे सिर्फ एक घड़ा पानी उन्हें पूरे परिवार के लिए एक दिन के लिए दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि एक घड़े पानी से एक इंसान और उसके परिवार की खाने और पीने की समस्या कैसे हल हो सकती है। यह जो मैं आपके सामने वर्णन कर रही हूँ यह कोई बनावटी बात नहीं है, यह आँखों देखी बात का वर्णन कर रही हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि इस प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए इतनी राशि आपको निश्चित तौर पर देनी चाहिए नहीं तो राजस्थान का रोगिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसता रहेगा।

पी. एच. इ. डी. डिपार्टमेंट राजस्थान ने "इन्टरनेशनल वाटर सप्लाय एण्ड सेनीटेशन डिक्लेड" में एक डिक्लेड की प्लानिंग की है अर्थात् दस वर्ष के अन्दर यह क्या क्या काम करना चाहते हैं, किस-किस मद के लिए वे पैसा खर्च करेंगे।

इस प्रकार का एक पूरा प्लान बनाकर उन्होंने केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है कि वर्ष 1981 से 1991 तक इस प्रदेश में शत-प्रतिशत शहरी आबादी को जल-प्रदाय योजना से लाभान्वित करने के लिए उन्हें 76 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 1981 से 1991 तक 80 प्रतिशत शहरी आबादी को सीवरज की सुविधा प्रदान करने के लिए 212 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि 10 वर्ष में शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को जल-प्रदाय योजना से लाभान्वित करने के लिए

[प्रो. निमला कुमारी शक्तावत]

उन्हें 490 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और चौथी बात उन्होंने कही है कि 25 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को सनीटेशन सुविधा दिलाने के लिए उन्हें 266 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस प्रकार से 1044 करोड़ रुपये की 10 वर्ष की योजना उन्होंने बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत की है। लेकिन मान्यवर ऐसा बताया गया है कि केवल 721 करोड़ रुपये ही इन 10 वर्षों के लिए राजस्थान के लिए मंजूर किए गए हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रान्त है। और वहां पर विकास की सभी संभावनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यदि वहां पर पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या 33 वर्ष बाद भी हम इस महत्वपूर्ण जीवनरक्षक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज हम समाजवादी और कल्याणकारी समाज की बात करते हैं, लेकिन यदि इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो संभव है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस प्रांत को मैं मनुष्य को अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रात-दिन सोचना पड़े, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहां पर सारे परिवार को सदस्य पानी लाने के काम में लगे रहते हैं, वह प्रांत कैसे उन्नति कर सकता है, वहां पर विकास की बात कल्पना-मात्र होगी यदि हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि छोटी पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि मांगी गई है या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा राजस्थान प्रांत के लिए मांगी गई है जिसका पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, उस धनराशि को अवश्य स्वीकृत किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या, निर्मला कुमारी शक्तावत जी को इस बात

के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे के वाद-विवाद के लिए आपसे अनुमति मांगी है।

उपाध्यक्ष महोदय, उनके भाषण को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जिस मूल विषय पर उन्होंने वाद-विवाद को अनुमति मांगी थी बहुत सी बातें उस विषय में बाहर कहीं हैं, फिर भी जो मेरे मंत्रालय से संबंधित बातें हैं, उनके संबंध में मैं आपके माध्यम से उनको और इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा।

जहां तक पेयजल आपूर्ति की बात है, मनुष्य जीवन के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक हैं—मनुष्य को पीने के लिए जल चाहिए, मनुष्य को खाने के लिए अन्न चाहिए और मनुष्य को जीने के लिए हवा चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का भारत भी एक सदस्य है। और यूनाइटेड नेशंस ने यह घोषणा की है कि 1981 से लेकर 1990 तक का जो वर्ष होगा वह अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और सफाई दशक के रूप में मनाया जायेगा। चूंकि भारत भी यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है हम भी वचनबद्ध हैं यूनाइटेड नेशंस को इस घोषणा की पूर्ति के लिये प्रयत्न करने के।

दूसरी बात यह कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह वचन दिया है कि छोटी योजना में, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद् ने हाल ही में स्वीकार किया है, उसमें हमारी चेष्टा होगी कि देश भर में जो प्रोब्लम विलेज हैं, पेयजल जहां उपलब्ध नहीं है और जिसका कि मापदंड जो भारत सरकार ने तय किया था उसके अनुसार जिसको राज्य सरकारों ने बताया है कि यह प्रोब्लम विलेज है, समस्याग्रस्त ग्राम है और जिसको योजना आयोग ने भी कहा है, उन तमाम गांवों में यह कोशिश होगी भारत सरकार की राज्य सरकारों को मदद के रूप में सहायता के रूप में धनराशि दे कर या योजना आयोग ने उनके लिये जो आउटले डिजिनिंग वाटर के लिये निर्धारित किया है उसके जरिये उनसे

निवेदन करके और मदद करके इस लक्ष्य की पूर्ति करें जिससे छोटी योजना के अन्तर्गत देश भर में कोई ऐसा प्राबलम विलेज न रह जाए जो माना हुआ समस्थोग्रस्त गांव है जहां जल आपूर्ति की व्यवस्था न हो जाय। और इसी वजह से सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में विशेष तौर से इस बात की चर्चा की और तमाम मुख्य मंत्रियों से यह निवेदन किया कि यह दशक पहली अप्रैल 1981 से शुरू होने वाला है तो भारत के तमाम राज्यों में इस दशक को बड़े जोरों से कार्यान्वयन की दृष्टि से मनाया जाय, और पहली अप्रैल से ले कर के छोटी योजना के कार्यकाल के अन्तर्गत यह कोशिश की जाय कि जो समस्थाग्रस्त गांव है उन तमाम में पेय जल की आपूर्ति कर सकें इसकी चेष्टा हो।

मैंने भी मान्यवर, व्यक्तिगत पत्र देश के तमाम मुख्य मंत्रियों को लिखा है और उन्हें याद दिलाया है कि एक अप्रैल से आप जॉर्जों से इस कार्यक्रम में लग जायें जिससे जो हमारा लक्ष्य है और जो अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा है और जो यूनाइटेड नेशन्स के घोषणापत्र से हम वचन-बद्ध हैं उसकी पूर्ति के लिए हम सब कार्य-न्वयन कर सकें और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

जो आंकड़े अभी हमारे सामने उपलब्ध हैं उपाध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार जो योजना आयोग से आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक देश भर में लगभग 2 लाख गांव ऐसे हैं जिन्हें समस्या ग्रस्त ग्राम बताया गया है जहां पेय जल आपूर्ति करनी है। इसका ध्यान में रखते हुए छोटी योजना में इस बात को जानते हुए भी कि आर्थिक कठिनाइयां हैं सरकार के सामने, लेकिन चूंकि हमारा कमिटमेंट था इस वजह से इन तमाम दो लाख प्राबलम विलेज में पेय जल आपूर्ति के लिए लगभग 2,000 करोड़ रु. यानी 20 अरब रु. का प्रावधान छोटी योजना में कराया गया है ताकि कोई भी एक गांव न बच जाय जहां पेय जल की आपूर्ति न कर सकें। इन बातों की जानकारी मैंने आपके माध्यम से सदन को दिलाने की कोशिश की है कि सरकार इस समस्या से न केवल अवगत है बल्कि सरकार किस

तरह से सजग और प्रयत्नशील है कि इस समस्या का समाधान निकले।

जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां सूखा है और केन्द्रीय सरकार उस सूखे की स्थिति से अवगत है। कृषि मंत्री या अन्य मंत्री की बात आप छोड़ दें, प्रधान मंत्री स्वयं वहां गई थी। वह इस वजह से वहां गई थी कि जो वहां की पीड़ित, अकालग्रस्त जनता है, उनसे मिल कर उनकी समस्या को जानें, उनके प्रति न केवल सहानुभूति प्रकट करें बल्कि निदान निकले, इसकी चेष्टा करें।

अब चूंकि बहुत सी बातें सम्माननीय सदस्या श्रीमती निर्मला कुमारी जी ने रखी हैं, वह कृषि मंत्रालय से सम्बन्ध रखती हैं, लेकिन जहां तक पेय-जल आपूर्ति की बात है, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूँ। आपने रिग की बात की थी। राजस्थान सरकार से हम लोगों की बात हुई है। राजस्थान के पास कूल मिलाकर 76 रिग हैं। राजस्थान की कूल आबादी 1 करोड़ है जो पेय जल आपूर्ति की समस्या से ग्रस्त है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : 3 करोड़ है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने प्राबलम विलेज की फिगर बताई है। जो समस्या-ग्रस्त गांव है, जहां पेय-जल की आपूर्ति की बात है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सारा राजस्थान पीड़ित है।

श्री वीरधर चन्द्र जौन (वाड़मेर) : साढ़े 3 करोड़ की आबादी है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरी बात सुन लीजिये, (व्यवधान) जब अवसर आयेगा तो बता दीजिये।

श्री एम. रामा गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : राजस्थान कौनल के बाद इतने गांव नहीं होने चाहियें।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों से है। राजस्थान से

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

ही नहीं पूरे देश से है। इसलिए मैंने 2 लाख गांव की चर्चा करके बताया।

लेकिन राजस्थान में एक करोड़ की जो आबादी है, राज्य सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, वही बात हमारे सामने है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आप 1971 की जनसंख्या कह रहे हैं, 1981 को नहीं कह रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. You cannot ask. Please sit down. That is all right. (Interruptions) Please sit down. You cannot raise. There are four more members who can raise this (interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : पूरी आबादी जो राजस्थान की है, उसको इसके साथ न मिलायें। 1 करोड़ की आबादी है जो इफैक्ट है, जहां जल आपूर्ति की बात है।

एक माननीय सदस्य : तीन साल से बराबर अकाल पड़ रहा है, पानी का लेवल नीचे चला गया है नदी के किनारों से।

श्री भीष्म नारायण सिंह : इसीलिए कह रहा हूँ कि वहां सूखे की स्थिति विशेष रूप से है। कृषि मंत्री जी उसके बारे में व्यापक रूप से वक्तव्य दे सकते हैं। मेरा सम्बन्ध तो पेय-जल की आपूर्ति से सम्बन्धित है जिस पर माननीय सदस्य ने यह चर्चा मांगी है। यह समस्या पूरे देश की है, लेकिन फिर भी राजस्थान की बात उठाई है, उसमें हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति है। इसलिए विशेषरूप से चर्चा अल्टीमा से कर देना चाहता हूँ। इसलिये जो आंकड़े राजस्थान सरकार से आये हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 24 हजार गांव मे,

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vays, you cannot interrupt. What is

it you are interrupting? No interruptions will go on record.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please understand the rules. There are four more people. We are guided by the Rules. I cannot go against the rules, nor you. We are guided by the rules.

श्री भीष्म नारायण सिंह : इस वजह से जो 1 करोड़ की आबादी है, जो पेय-जल की समस्या से ग्रस्त है, उसको दृष्टिकोण में रख कर जब देखेंगे तो राजस्थान को लिए खासकर जो उपबन्ध किये गये हैं, छठी योजना में पेय जल एवं सफाई के लिए जो धनराशि रखी गई है वह 1 अरब 93 करोड़ 29 लाख रुपये का प्रावधान है। यह कुल धनराशि का प्रावधान है। आपके प्रावलय वाले विलेज के लिए, उसमें 106 करोड़ रुपये के लगभग वह भी है।

उसके अतिरिक्त मैं रिग की बात बता रहा था कि उस पर आपने बल दिया है। राजस्थान सरकार के पास जो अभी रिग उपलब्ध है, उनकी संख्या 76 है।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt. He is replying to Shrimati Shaktawat.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने अभी बताया है कि राजस्थान सरकार के पास टोटल 76 रिग हैं। पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को 23 रिग दिये हैं। इस बारे में राजस्थान सरकार से बात हुई है। उसने केन्द्रीय सरकार को बताया है कि अभी उसने रिग के मुताल्लिक कोई मांग नहीं करती है।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार वहां पर 19,391 प्रावलय विलेज हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये फिगरें गलत हैं। मंत्री महोदय इस बारे में दोबारा देख लें।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्यों के सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं, और करेंगे। लेकिन सरकार के चलने का एक सिलसिला है। सरकार के पास जो माध्यम हैं, उनमें राज्य सरकार मुख्य माध्यम है। सच पूछिए, तो पेय जल आपूर्ति या आवास, यह राज्य का विषय है। राज्य सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए जो कोशिश करती है, केन्द्रीय सरकार तो उसे सप्लीमेंट करती है, उसकी मदद की चेष्टा करती है। एक्सलेरेटेड रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अन्तर्गत राजस्थान को ग्रांट के रूप में इस साल में 359.10 लाख रुपये दिया है। यह रुपये वापस नहीं दिया जाना है।

जहां तक प्रावलम विलेज का सम्बन्ध है, पूरे देश के लिए यह मापदंड रखा गया है कि एक मील, या 1.6 किलोमीटर, के अन्दर अगर कहीं पेय जल की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें जो गांव पड़े, वह प्रावलम विलेज है। एक प्रावलम विलेज में जल-आपूर्ति के लिए लगभग एक लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है। उसी के मुताबिक छोटी योजना में लगभग 20 अरब रुपये की व्यवस्था की गई है। हमारे पास राज्य सरकार और योजना आयोग से प्राप्त जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक लगभग 2 लाख समस्याग्रस्त गांव हैं और एक लाख रुपये प्रति गांव के हिसाब से 2,000 करोड़ रुपये या 20 अरब रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार को सरकारी माध्यमों के जरिये जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। राजस्थान की यह स्थिति है। राजस्थान के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है।

हमने पेय जल के लिए जिस धनराशि का आवंटन किया है, अगर राज्य सरकार किन्हीं कारणों से—डूट है, राजस्थान, जन्धू प्रदेश और हरियाणा के हिस्सों में सूखे की स्थिति है, कठिनाई है—उसको 31 मार्च तक खर्च नहीं करेगी, तो हम उसपर फिर से विचार करते हैं और अगर हमारे पास रुपये उपलब्ध होते हैं, तो हम उनमें से मदद करने की कोशिश करते हैं।

राजस्थान के बारे में मैं कहूंगा—वैसे तो सारे देश के बारे में सदन चर्चा कर रहा है—कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के जो उचित हक होंगे, वे हम लोगों के रहते हुए कभी नहीं मारे जायेंगे।

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting you. Your name is not here. Nor will I permit anybody.

(Interruptions)**

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): The most heart-breaking feature of the problem is that out of 5.76 lakh villages in the country, only 66,000 have been provided with safe drinking water so far. Further, during the last 30 years only Rs. 900 crores have been spent on the rural water supply scheme. Even there the entire amount has not been fully utilized in some of the States. These figures clearly show the gravity of the situation. They also make us come to the conclusion that there is an urgent need to tackle this problem on a war footing.

Since Government are aware of this situation, they have to come forward with certain programmes. Kindly consider the situation prevailing in the rural and urban areas. If you go to the slums in the urban areas, you will notice that the people there, particularly the weaker sections, drink polluted water, which is unfit for human consumption. This is the fate of the slum-dwellers in the cities. There is frequent break out of gastro-intestinal and other diseases due to the contamination of the pipe-water in the urban areas. Taking into consideration all these aspects, what steps have been taken by the Government to solve this problem in this decade.

Here I would draw attention to the fact that 1981-90 has been declared by the World Health Organisation as the International Safe Water Supply and Sanitation Decade. What are the

[Shri Janardhan Poojary]

steps taken to tackle the problem of drinking water on a war footing? Is it a fact that a National Perspective Plan for water resources development, involving Rs. 50,000 crores, have been adopted? If so, what is the follow up action? Is it a fact that there is a proposal to spend Rs. 11,000 crores on drinking water supply and sanitation during the decade 1981—90? If so, do Government propose to enact legislation, arming themselves with powers to set up a National Water Management Board? When will it be introduced in Parliament? Has the assistance of the World Health Organisation been sought?

Confining to my State, out of the 19 districts, 15 have been declared as drought-affected areas. It has been stated by experts that super-powers have been developing a system called meteorological weapon, to create artificial cyclones and artificial droughts in order to inflict economic loss to the targeted country. Do Government propose to investigate thoroughly this aspect?

So far as Karnataka is concerned, what amount has been earmarked for the drought-affected areas and how many villages have been identified as problem villages. I hope the Minister will answer these questions.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur): Sir, in view of the International Water Supply and Sanitation Decade Rs. 13 crores have been allocated for this purpose, and the Central Government asked all the State Governments to submit their plans regarding the drinking water supply. Last week there was a meeting of the Public Health Engineering in New Delhi and all the State Government, Public Health engineers came here and they submitted their plans. Those who came from West Bengal also submitted four schemes regarding this water supply. (Interruptions). Out of these four schemes, two are for Raniganj coal field area, one for

Raghunathpur in Purulia backward district of West Bengal and one for Haldia. They had submitted these four schemes. But my information is that these schemes which were submitted were not sanctioned by the Central Government. May I know from the hon. Minister the reason for not sanctioning these four schemes? You know the Raniganj coalfield area where thousands and lakhs of workers are employed and you also know their conditions. In Raghunathpur in Purulia, which is a backward district in West Bengal, and also in Haldia, chemical industries are coming up and the West Bengal Government submitted these schemes. But these are not sanctioned. May I know the cause for not sanctioning these schemes? I request the hon. Minister to look into this matter and sanctioned these schemes early.

Another point is, I want to know how much money has been allotted to the State of West Bengal for the supply of drinking water. You know about the sinking of tubewells. Sometimes these tubewells go out of order and they require constant repair and, Sir, the State Government have not so much of money for repairing and re-sinking of these tubewells. Where water is not available, they require re-sinking. For that purpose funds are not available with the State Government and you know, in one block area there are so many types of tubewells and if one has gone out of order in one place, after some three or four days again in another village another tubewell has gone out of order. In this way so many tubewells have gone out of order and only one or two persons are there for repairing all these tubewells. So, I request the hon. Minister to look into this matter also and if he considers this, some village people who are educated and are not getting jobs may be employed in this connection for re-sinking and repairing tubewells.

श्री वृद्ध चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अभी जो हमारी बहन शक्तावत ने भाषण दिया था,

उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजस्थान में सबसे अधिक समस्याप्रद गांव हैं--- विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर-जैसलमेर आदि। हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी क्षेत्र का दौरा किया था। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन गांव का उन्होंने दौरा किया और जिन गांवों में वे गईं, वे बहुत ही समस्याप्रद गांव हैं। उन गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या आप राज्य सरकारों को आदेश देंगे कि जहाँ-जहाँ भी पानी का संकट है, उन योजनाओं को वे प्राथमिकता दें ?

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो ग्रामीण जल-प्रदाय योजना बनती है, उस में मनुष्यों के पीने के पानी के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन पशुओं के पीने के पानी का प्रावधान नहीं किया है। हमारी इकानोमी पशुओं पर निर्भर है। इस लिए क्या ग्रामीण जल-प्रदाय योजना बनाते समय, जो पीने के पानी का प्रावधान कर रहे हैं, उसमें मनुष्यों के साथ पशुओं के लिए पानी का प्रावधान करेंगे ?

तीसरा प्रश्न यह है कि आपने एक्सिलरटेड प्रोग्राम के बारे में राजस्थान को 3 करोड़ 59 लाख रुपया प्रोवाइड किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में पूरे तरह से जांच नहीं की गई है। उनमें एक गांव को जोड़ने के लिए एक लाख रुपया लगता है, हमारे यहाँ एक गांव को जोड़ने के लिए 10 से 15 लाख रु. लगते हैं। हमारे कुछ गांव 50 वर्गमील में हैं, कुछ 100 वर्गमील हैं, जैसे बाड़मेर-जैसलमेर और सुन्दरा जो 500 वर्गमील दूरी का गांव है। यदि आप इन गांवों में पानी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जो एक गांव के लिए एक लाख रुपए का प्रावधान कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में एक्सिलरटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत एक लाख की जगह पर आपको कम से कम दस लाख रु. का प्रावधान करना पड़ेगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस संबंध में विचार करेगी ?

चौथा प्रश्न मेरा यह है कि जिन गांवों में ट्रकों के द्वारा, टैंकरों के द्वारा 50-50

मील दूर से पानी पहुंचाया जाता है, खास कर फीमिन के दिनों में पानी पहुंचाने से बहुत ज्यादा कास्ट आती है और वे स्कीमों भी बहुत ही कास्टली होती हैं। इस लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस चीज की तरफ भी ध्यान देंगे ? जो समस्या-प्रद की डीफिनिशन है, उसको आप तीन श्रेणियों में बनाइए। जिन गांवों पर ज्यादा खर्चा पड़े, जिनमें टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, जहाँ पर बाला बगैरह की बीमारी होती है, उनको आप फर्स्ट-श्रेणी में लें। जब इस प्रकार से आप तीन श्रेणियां बनायेंगे तब जाकर के हमारे गांवों की समस्या हल होगी। लेकिन सरकार क्या कर रहा है, जिस गांव पर खर्च कम होता है और ज्यादा समस्याएँ नहीं हैं, उन गांवों को लेकर गांव का नाम तो बढ़ा दिया गया लेकिन हमारे गांवों को बिलकुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। हम वंचित रहते हैं। इन समस्याप्रद गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार तीन श्रेणियां बनाकर राजस्थान सरकार से और दूसरी सरकारों से मिलकर उनको दूर करने का प्रयास करें, क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Munkunda Mandal.

He is going to put one question and his question will be as short as he is.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Maturapur): I will ask very short question.

After thirty-three years of independence, we have to raise the question of water. The question of water is very important. Water is another name of life.

“पानी का दूसरा नाम जिन्दगी है”

In Bengali, it is *jol hi jiwon*. This Government is denying that very life to the people.

According to the Report of the Ministry of Works and Housing, it is not a problem in the rural areas alone. The problem is prevailing in the urban areas also. In the Report it is stated that in the urban areas

[Shri Mukunda Mandal]

83 per cent of the population has been covered with drinking water. Again, it is stated that the quantity supplied is not adequate in the majority of places. Further, it is stated that in the rural areas, there are problem villages. As to how many problem villages are there, in the Report it is stated that at the beginning of the Sixth Plan, there are about 1,00,580 problem villages in the country which are still to be provided with safe drinking water supply.

I want to know whether this Government is taking steps in respect of these problem villages to provide them with pure drinking water. The people of the country are denied food, clothing and everyday necessities. We demand that all necessary and essential articles should be supplied to them through fair price shops. That is denied to them. However, at least drinking water should be provided to every citizen of the country.

In the hilly regions, in the plain regions, in the desert areas, everywhere, there is a problem of drinking water. The hon. lady member was saying that in Rajasthan, there is a problem of drinking water. In the tribal areas, there is no drinking water available. This is the position.

In view of this, I would like to ask the hon. Minister as to how many villages have been provided with drinking water, to how many people and what is the percentage of rural people having drinking water. Secondly, I want to know how many villages are yet to be provided with drinking water and also the number of people to be covered in those villages. How many villages will be covered during the Sixth Plan and the total population covered in these villages. When and how the villages that are not covered during the Sixth Plan, having no drinking water facilities, will be provided with

drinking water and how many people will be denied drinking water facilities? What is the Statewise allocation of funds in the Sixth Plan for the urban and rural water supply throughout the country?

Last but not the least question is, how many rig machines have been supplied to the West Bengal Government up to date and how many of them are functioning to date and also how many rig machines were asked for by the West Bengal Government from the Government of India.

These are the concrete questions I have asked and, I hope, the hon. Minister will be kind enough to reply to all these questions.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH:
Sir, I have already expressed my views on the efforts made by the State Governments and the Central Government in the Sixth Five Year Plan.

I would like to give the figures of allocation of the amounts for the purpose of provision of drinking water. Some of the Hon. Members have already talked about sanitation. You can yourself clearly know the progress made from the figures which I am placing before you.

Government has always been trying its best to increase the outlay for the provision of drinking water and sanitation.

The comparative figures for the Sixth and the Fifth Five Year Plans in regard to the allocation made for provision of water supply and sanitation are as follows:

The amount provided in the Sixth Plan for drinking water and sanitation is Rs. 3,922.02 crores as against Rs. 1,030.68 crores in the Fifth Plan.

You can very well imagine how much Government is concerned about this problem and how much Government is committed to solve the

problem of drinking water in the country.

You will appreciate the fact that it is very difficult to give accurate figures of the allocations made in the Sixth Five Year Plan for solving the problem of drinking water in all the areas of the country.

But, I will give reply to your general question. First of all, I would reply to Mr. Poojariji. I can give the figure for Karnataka. Karnataka's total allocation in the Sixth Five Year Plan for water supply and sanitation is Rs. 132.00 crores. Of this, Rs. 19 crores is allocated only for the problem villages in Karnataka. This is an exclusive provision.

Similarly, for West Bengal, the total allocation in the Sixth Five Year Plan for water supply and sanitation is Rs. 103.00 crores of which for drinking water in problem villages, the provision is Rs. 48.00 crores.

These are the figures for Karnataka and West Bengal.

About rigs and other things, I cannot give you immediately these figures. They are not available with me. Therefore, I cannot give you the information in this regard. (*Interruptions.*)

You asked about Barmer and Jaisalmer, which were visited by our Hon. Prime Minister. I think that there cannot be two opinions about what you said. But, if Barmer and Jaisalmer are the worst-affected, I expect that the State Government would definitely give you priority. I have already told you that these two subjects, the drinking water problem and the housing, both of them are State subjects. We only supplement their efforts, if they want it. As you say those areas are the worst-affected areas and, therefore, Hon. Prime Minister also visited the areas. Therefore, State Government must be paying serious attention to this problem.

18.54 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 26, 1961/Chaitra 5, 1903 (Saka)